न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/02/2022	2022/34	13.04.2022	23.01.2025

1. रामकरण पुत्र छोटक्या जाति मीणा निवासी रतनपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर (राज0)
—प्रार्थी

बनाम

1. भू—आवंटन एवं विनियमन सलाहकार समिति राजगढ जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर राज0।
2. रामजीवन उर्फ रामजीलाल पुत्र छोटक्या जाति मीणा निवासी रतनुपरा तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।
—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री मूलचन्द चौधरी —वकील प्रार्थी
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील अप्रार्थी सं0 1

—निर्णय—

यह अपील बाद निर्णय माननीय न्यायालय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा रिमाण्ड होकर पेश हुई। अपील दर्ज की गई। वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) उपखण्ड अधिकारी राजगढ भूमि आवंटन आदेश द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में विवादित आराजी का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आ0ख0नं. 28 रकबा 17 ऐयर वाके ग्राम प्रेमपुरा का आवंटन अप्रार्थी सं0 2 के हक में रकबा 8 ऐयर का विधिविरूद्ध खिलाफ मौका व कब्जा सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। आवंटन करने से पूर्व विधिअनुसार विज्ञप्ति जारी नहीं की गई एवं ना ही कानूनी प्रक्रियाएं पूर्ण की गई, जिनके अभाव में आवंटन आदेश दिनांक 17.06.2002 रकबा 8 ऐयर बहक अप्रार्थी सं0 2 निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटनशुदा रकबा प्रार्थी के आधिपत्य में अर्सेदराज से पूर्व से बदस्तूर चला आ रहा है इसलिए यह रकबा अलोट किये जाने के लिए दिनांक 17.06.2002 को उपलब्ध ही नहीं था। ऐसी स्थिति में जिस रकबे पर प्रार्थी आवंटन के दिन काबिज था और उसे किसी प्रकार से बेदखल भी नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में बिना मौका कब्जा की रिपोर्ट पटवारी हल्का से लिये बिना आवंटन आदेश विधिविरूद्ध तरीके से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

खसरा नंबर 28 रकबा 17 ऐयर का रकबा है जिसमें यह भी अंकित नहीं किया गया है कि किस तरफ का 8 ऐयर अप्रार्थी संख्या 2 को अलोट किया गया है। अप्रार्थी का आवेदन फार्म नियमानुसार प्रस्तुत नहीं हुआ ना सत्यापन आदि प्रकिया पूर्ण हुई है ना पटवारी हल्का की मौका कब्जा रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश खिलाफ कानून व खिलाफ प्रावधान है जो निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा नंबर 28 का रकबा 17 ऐयर मिला हुआ है, इस 17 ऐयर का अलग से कोई अस्तित्व या सीमांकन नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना इसकी सीमाकंन किये व तितम्बा काटे आवंटन आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं था, जो काबिले गौर है। प्रार्थी को बिना बेदखल किये और आवंटन के लिए विज्ञप्ति जारी किये बिना उक्त आवंटन आदेश पारित किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

आवंटन कमेटी ने पटवारी की मौके कब्जे की रिपोर्ट नहीं ली एवं ना आवेदन—पत्र की जांच की गई। महज आवेदन पत्रों पर विचार—विमर्श किया तथा आवंटन आदेश में अंकित मौका

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

निरीक्षण गलत तरीके से किया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश अपूर्ण और निरस्तनीय है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 17.06.2002 बहक अप्रार्थी सं0 2 बाबत् आराजी खसरा नंबर 28 रकबा मिन 8 ऐयर वाके ग्राम प्रेमपुरा निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 1 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 08.08.2006 को पारित कर भू–आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा किये गये आवंटन आदेश दिनांक 17.06.2002 को आवंटन नियम विरूद्ध बताकर निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की गयी। उक्त अपील का निर्णय मण्डल द्वारा दिनांक 28.07.2021 को पारित कर आदेश दिये गये कि "दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, प्रथम अलवर का निर्णय दिनांक 22.04.2003 व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 08.08.2006 अपास्त किये जाते हैं। उक्त वर्णित ओब्जर्वेशन को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, प्रथम अलवर को इस निर्देश के साथ प्रेषित करते है कि वे उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सभी संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की जांच व परीक्षण करने के उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित करें।" विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई और ना किसी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की गई, जबकि विज्ञप्ति जारी होने के पंद्रह दिन बाद आवंटन की कार्यवाही की जाती है। आवंटन के बाद से आवंटी/रेस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है, बल्कि अपी0 का आज भी विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर अपी0 का ही कब्जा है उसे बेदखल नहीं किया गया और ना ही कोई नोटिस दिया गया। जब तक अपी0 को बेदखल नहीं किया जाता तब तक भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 04.07.2002 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी रामकरण के कब्जे की भूमि खसरा नंबर 27 व 28 है। खसरा नंबर 28 रकबा 0.17 में से 0.08 है0 भूमि का आवंटन आवंटी रामजीवन उर्फ रामजीलाल को नियम विरूद्ध कर दिया गया। आवंटनशुदा भूमि पर वक्त आवंटन प्रार्थी रामकरण का कब्जा था और आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कराई गई। वक्त आवंटन प्रक्रिया के दौरान ना ही कोई उज्रदारी/सर्वसाधारण नोटिस जारी किया गया। बिना मौका जांच कराये अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी को विवादित भूमि का आवंटन किया गया, जो आवंटन नियमों के विपरीत है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है तथा आवंटन आदेश दिनांक 17.06.2002 खसरा नंबर 28 रकबा 17 ऐयर वाके ग्राम प्रेमपुरा तहसील राजगढ़ में से 08 ऐयर बहक अप्रार्थी संख्या 2 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार राजगढ़ खसरा नंबर 28 रकबा 17 ऐयर वाके ग्राम प्रेमपुरा तहसील राजगढ़ में से 8 ऐयर रकबे को सिवायचक दर्ज करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)